

प्रेषक,

राम नेवास,  
विशेष सचिव,  
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

विदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : २० दिसम्बर, 2017

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन वस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5575/76/एक/एवीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 15 मार्च, 2017 व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (इडा), शामली के पत्र संख्या-936/इडा/शामली/17-18, दिनांक 07.06.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से जनपद-शामली की न०पा०परि०, कैराना तथा न०प०, झिंझाना की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 12 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-718/2016/2289/69-1-16-85(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा रु० 193.70 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 96.85 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन वस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रु० 96.85 लाख (रुपये छियानबे लाख पचासी हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/ट्यवरुथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री राज्यपाल महोदय

क्रमांक:.....2

टैक्स  
२०१७  
२११५१८

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/इकाधर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्पीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण विदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक घर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

क्रमशः.....3

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५, दिनांक २५.०१.२०११ में जारी यिस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१८ तक व्यय हो सके।
  2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-०४-गन्दी बस्तियों का विकास-०५१-निर्माण-०४-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-८/२०१७/बी-१-११९०/दस-२०१७-२३१/२०१७, दिनांक ०३.०८.२०१७ तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीप,  
(राम नवास)  
विशेष सचिव।\*

संख्या-/५/२०१७/८७९(१)/६९-१-२०१७ तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शामली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

/(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।


शासनादेश संख्या- /५/ /2017/879/69-1-2017-85(अ0स0-37)/2016 दिनांक २० दिसम्बर, 2017 का  
संलग्नक। (धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	वस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोज ना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	शामली	न०पा०प० केराना	वार्ड न०-२१ के मो० खेलकला में रामडा रोड से दारुलउल्लूम मदरसे तक, उमरदीन के मकान से लीला हलवाई के मकान तक, तौहीद के मकान से इस्लाम के मकान तक, रईस के मकान से मेराज के खेत तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	18.47	9.235
2	तदैय	न०प० झिङ्हाना	मो० शेखो मैदान सलारा में पुरकान के मकान से मोहसीन के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	5.35	2.675
3	तदैय	तदैय	मो० गाड़ीयाला में तहसीन के प्लाट से जमशेद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	13.36	6.68
4	तदैय	तदैय	मो० गाड़ीयाला में करनाल रोड से संजय शर्मा के मकान होते हुए शमशेर के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	15.29	7.645
5	तदैय	तदैय	मो० तलाई में बिडोली वार्डपास से हाजी रहीस के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	16.94	8.47
6	तदैय	तदैय	मो० शेखो मैदान सलारा में लोमान के प्लाट से सजीर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	2.27	1.135
7	तदैय	तदैय	मो० गाड़ीयाला में वी०क० स्कूल के मैदान से मस्जिद के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	15.00	7.50
8	तदैय	तदैय	मो० गाड़ीयाला में रसीद के मकान से असलम के प्लाट तक, अहसान के मकान के सामने से मनवर के मकान तक व रसीद के मकान से आलमगीर के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	27.09	13.545
9	तदैय	तदैय	मो० चन्द्रपुरी में नो० तलाहीपीर से हरिराम के मकान होते हुए भीम डॉ० के मकान तक, दुर्गा के मकान से जोगिन्दर के मकान तक, मो० तलाही पीर से प्रेम के मकान तक व मिर्जन के मकान से इसरार के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	38.09	19.045

-21-

10	तदैव	तदैव	मो० इग्राहिम कालोनी में बिडोली रोड से भस्त्रिय के प्लाट तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	11.47	5.735
11	तदैव	न०पा०प० कैराना	मो० आफगानान में हाजी इनाम के कारखाने से भस्त्रिय के प्लाट तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	10.15	5.075
12	तदैव	तदैव	मो० आफगानान नवाब तालब से डा० अवेज के प्लाट से यासीन हसीन के मकान तक, अमीर अहमद के मकान से रहीस थोबी के मकान तक, सीने के मकान से अफसर के मकान तक, असगर के मकान से इसरत जहौं के मकान तक व अली असन के मकान से सईद के प्लाट तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	20.22	10.11
योग				193.70	96.85

(रुपये छियानवे लाख पचासी हजार मात्र)

  
(अखिलनन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।\*